

अगस्त 2020

PRS के प्रमुख हाइलाइट्स

• कोविड-19

- तरलता समर्थन के लिये अतिरिक्त उपाय
- डिसिकॉम्प्स के लिये वर्कग्री कैपिटल लोन
- **समष्टी आरथिक (मैक्रोइकोनॉमिक) विकास**
 - वर्ष 2020-21 की पहली तमिही में GDP में 23.9% की गिरावट
 - वर्ष 2020-21 की पहली तमिही में औद्योगिक उत्पादन में 36% की गिरावट
 - रेपो दर और राविरेस रेपो दर अपराविरतनीय रही
- **वित्त**
 - GST मुआवजे की कमी को पूरा करने हेतु दो वकिलप
 - राष्ट्रीय वित्तीय शक्तिशालीता
 - पर्याकर्षी सलाहकारों के लिये प्रक्रियागत दशा-निर्देश
 - खुदरा भुगतान पर केंद्रति छत्र इकाई की स्थापना के लिये फ्रेमवर्क
- **स्वास्थ्य**
 - स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीतिका मसौदा
- **विधि और न्याय**
 - आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के लिये नियम
- **सामाजिक न्याय और अधिकारति**
 - राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषिद
- **सुचना एवं प्रसार**
 - सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इम्पैनलमेंट के लिये दशा-निर्देश जारी
- **कृषि**
 - चीनी विकास फंड (संशोधन) नियम, 2020
- **रक्षा**
 - रक्षा उत्पादन और नियात संवरद्धन नीति 2020
 - आयात एंबारगो के लिये 101 वस्तुओं की सूची
 - घरेलू उद्योग द्वारा डिज़िग्न और विकास के लिये प्रणालियाँ
- **सड़क परिवहन**
 - मोटर वाहनों से संबंधित नियमों में मसौदा संशोधन
 - परी फटिड बैटरी के बनी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की अनुमति
 - राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क पलाज़ा पर फास्टैग अनविार्य
- **रेलवे**
 - सुरक्षा के लिये डरोन आधारति सर्वलिंग प्रणाली शुरू
- **खनन**
 - खनन क्षेत्र में प्रस्तावित सुधार
- **बजिली**
 - सौर व पवन ऊर्जा संयंतरों के लिये अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क और ट्रांसमिशन
- **शक्तिशाली**
 - इंटरनशनल एंबेडेड कार्यक्रमों के लिये दशा-निर्देश
- **संचार**
 - सैपेक्टरम उपयोग शुल्क के आकलन के उपाय
- **अल्पसंख्यक मामले**
 - नई रोशनी योजना

कोवडि-19

• तरलता समर्थन के लिये अतरिकित उपाय

भारतीय रजिस्टर बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने कोवडि-19 के कारण उत्पन्न वित्तीय तनाव को कम करने के लिये वित्तीय बाजारों और व्यक्तियों को तरलता समर्थन देने की घोषणा की है। इसके लिये RBI ने जनि उपायों की घोषणा की है उनमें नमिनलखिति शामिल हैं:

- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development- NABARD), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (Small Industries Development Bank of India- SIDBI), राष्ट्रीय आवासीय बैंक (National Housing Bank- NHB) और एकजमि बैंक (EXIM Bank) जैसे वित्तीय संस्थानों के लिये 65,000 करोड़ रुपए की अतरिकित तरलता सुवधि।
- लघु वित्त संस्थानों और दूसरे छोटे NBFC को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिये नाबारड को 5,000 करोड़ रुपए की अतरिकित वशिष लकिवडिटि सुवधि दी जाएगी। यह सुवधि RBI के रेपो दर पर एक वर्ष की अवधि के लिये उपलब्ध होगी।
- सोने की ज्वैलरी पर लोन की राशिकी सीमा 75% से बढ़ाकर 90% की गई है। यह राहत 31 मार्च, 2021 तक उपलब्ध होगी।

• डिस्कॉम्स के लिये वरकगि कैपिटल लोन

आरथकि मामलों की मंत्रमिडलीय समति ने विद्युत वित्त नगिम और ग्रामीण विद्युतीकरण नगिम द्वारा राज्यों के स्वामतिव वाली वित्तण कंपनियों को दिये गए वरकगि कैपिटल लोन की सीमा में राहत को मजूरी दी है। यह एकमुश्त राहत है यानी [उद्य योजना](#) द्वारा दी गई सीमा, यानी पछिले वर्ष के राजस्व के 25% पर राहत दी गई है। [उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना](#) (Ujjwal Discom Assurance Yojana- UDAY) वरकगि पूंजी लोन को डिस्कॉम के पछिले वर्ष के राजस्व के 25% पर सीमति करती है। इससे विद्युत क्षेत्र में तरलता की सुवधि मिलेगी जो कोवडि-19 के कारण वित्तीय संकट से जूझ रहा है।

समष्टि आरथकि (मैक्रोइकोनॉमिक) विकास

• वर्ष 2020-21 की पहली तमिही में GDP में 23.9% की गरिवट

वर्ष 2019-20 की पहली तमिही (अप्रैल-जून) की तुलना में 2020-21 की पहली तमिही में सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP) (2011-12 की स्थिरी कीमत पर) में 23.9% की गरिवट आई है। इसकी तुलना में वर्ष 2019-20 के चौथी तमिही में GDP की वृद्धिदर 3.1% थी।

और पढ़ें

• वर्ष 2020-21 की पहली तमिही में औद्योगिक उत्पादन में 36% की गरिवट

वर्ष 2019-20 की पहली तमिही (अप्रैल-जून) की तुलना में वर्ष 2020-21 की पहली तमिही में [औद्योगिक उत्पादन सूचकांक](#) (Index of Industrial Production- IIP) 36% कम हो गया है। वर्ष 2020-21 के अप्रैल, मई और जून में खनन, बनिरिमाण तथा विद्युत उत्पादन में वृद्धिनिकारात्मक थी। वर्ष 2019-20 की चौथी तमिही में IIP में 3.8% की वृद्धिके साथ गरिवट आई है। रेखाचतिरि 1 में वर्ष 2020-21 की पहली तमिही में औद्योगिक उत्पादन में परविरतन प्रदर्शित है।

रेखाचतिरि 1: 2020-21 की पहली तमिही में IIP में नकारात्मक वृद्धि



• रेपो दर और रविरस रेपो दर अपरविरतनीय रही

मौद्रकि नीतिसमति (Monetary Policy Committee- MPC) ने वर्ष 2020-21 का दूसरा द्वमिसकि मौद्रकि नीतिगत वक्तव्य जारी किया।

और पढ़ें

वित्त

- GST मुआवजे की कमी को पूरा करने हेतु दो वकिलप

केंद्र सरकार ने GST परिषिद्ध को वर्ष 2020-21 के लिये GST मुआवजे हेतु अपने अनुमान पेश किये और राज्यों के सामने मुआवजा उपकर संग्रह में कमी को पूरा करने के लिये दो वकिलप रखे। GST (राज्यों को मुआवजा) अधनियम, 2017 के अंतर्गत केंद्र सरकार से उस स्थिति में राज्यों को मुआवजा चुकाने की अपेक्षा की जाती है, अगर जुलाई 2017 से जून 2022 के दौरान किसी वर्ष उनका GST राजस्व 14% से कम बढ़ता है।

और पढ़ें

- राष्ट्रीय वित्तीय शक्ति रणनीति

राष्ट्रीय वित्तीय शक्ति रणनीति (National Strategy for Financial Education- NSFE) ने भारतीय रजिस्टर बैंक (Reserve Bank of India- RBI), भारतीय प्रतभूतिविनियम बोर्ड (Securities Exchange Board of India- SEBI), भारतीय बीमा विनियोगक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India- IRDAI) तथा पेंशन निधि नियमक एवं विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority- PFRDA) के परामर्श से वर्ष 2020-25 की अवधि हेतु दूसरी वित्तीय शक्ति रणनीति (National Strategy for Financial Education- NSFE) जारी की।

और पढ़ें

- प्रॉक्सी सलाहकारों के लिये प्रक्रियागत दशा-निर्देश

वर्ष 2014 में भारतीय प्रतभूति और विनियम बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI) ने प्रॉक्सी सलाहकारों के आचरण को अभियासति करने के लिये विनियमों को अधिसूचित किया था। एक प्रॉक्सी सलाहकार कोई भी ऐसा वयक्ति है जो किसी कंपनी के संस्थागत नियशकों या शेयरधारकों को कंपनी में अपने मतदान अधिकारों के प्रयोग की सलाह देता है। सेबी ने इन प्रॉक्सी सलाहकारों के लिये प्रक्रियागत दशा-निर्देशों को अधिसूचित किया है। इन उपायों से प्रॉक्सी सलाहकारों की स्वतंत्रता सुनिश्चित होने की उम्मीद है। वर्ष 2018 में सेबी ने प्रॉक्सी सलाहकारों की समस्याओं पर एक वरकारी गुरुप का गठन किया था। इस गुरुप के सुझावों में ये उपाय शामिल थे।

प्रक्रियागत दशा-निर्देशों में शामिल हैं:

- **मतदान के सुझाव पर नीतियाँ:** प्रॉक्सी सलाहकार मतदान के सुझाव पर नीतियाँ बनाएंगे और अपने ग्राहकों को उनके बारे में बताएंगे। इन नीतियों की वार्षिक समीक्षा की जानी चाहिये।
- **खुलासे का तरीका:** सलाहकार अपने ग्राहकों को अनुसंधान और सुझावों के लिये विकास की पद्धति एवं प्रक्रियाओं के बारे में बताएंगे।
- **रपोर्टों को साझा करना:** सलाहकार एक ही समय में अपने ग्राहकों और कंपनी के संबंध में अपने सुझावों को साझा करें। कंपनी की टपिणी, यदि कोई हो, को सलाहकारों की अनुशंसा रपोर्ट के परिषिष्ठ के रूप में शामिल किया जाना चाहिये। यदकिसी सुझाव पर कंपनी का दृष्टिकोण अलग है, तो सलाहकार उनकी अनुशंसा को संशोधित भी कर सकते हैं।
- **हत्तिं का टकराव:** सलाहकार हर उस दस्तावेज़ को लेकर हत्तिं के टकराव का खुलासा करेंगे जिस पर वे सलाह देते हैं। खुलासे में हत्तिं के टकराव के संभावित क्षेत्र और संघर्षों को कम करने हेतु समाधान शामिल होने चाहिये। प्रॉक्सी सलाहकार परामर्श सेवाओं सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से उत्पन्न हत्तिं के टकराव का खुलासा करने, उनका प्रबंधन और उन्हें कम करने के लिये स्पष्ट प्रक्रियाएँ बताएंगे।
- **खुदरा भुगतान पर केंद्रति छत्र इकाई की स्थापना के लिये फ्रेमवर्क**

RBI ने खुदरा भुगतान प्रणालियों पर केंद्रति अखिल भारतीय छत्र इकाई की स्थापना के लिये फ्रेमवर्क जारी किया। वर्तमान में RBI खुदरा भुगतान और नपिटान प्रणाली के लिये एक छत्र संगठन का संचालन करता है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम नामक एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में बनाया गया है।

फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

- **स्थापना:** इस कंपनी को कंपनी अधनियम, 2013 के अंतर्गत बनाया जाना चाहिये और यह एक लाभकारी कंपनी हो सकती है। इसका विनियमन और प्रयोक्षण भुगतान और नपिटान प्रणाली अधनियम, 2007 के अंतर्गत RBI द्वारा किया जाएगा।
- **गतिविधियाँ:** इकाई की गतिविधियों के दायरे में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - (i) ATM, आधार-आधारत भुगतान और प्रेषण सेवाओं तथा नई भुगतान विधियों सहित खुदरा स्थान में नई भुगतान प्रणालियों को स्थापति, प्रबंधित और संचालित करना।
 - (ii) इनमें भाग लेने वाले बैंकों और गैर-बैंकों के लिये समाशोधन और नपिटान का कार्य करना।
- **प्रवरतकों के लिये पात्रता:** छत्र इकाई द्वारा भुगतान की गई पूँजी का 25% से अधिक हसिसा रखने वाली किसी भी इकाई प्रवरतक मानी जाएगी। प्रवरतक को भुगतान पारस्थितिकी तंत्र में कम-से-कम तीन वर्ष के अनुभव के साथ एक नवियासी भारतीय नागरिक [विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधनियम, 1999 (फेमा) के अनुसार] होना चाहिये। प्रवरतक RBI द्वारा नियमित 'फटि और परोपर' मानदंडों के भी अनुरूप होना चाहिये।
- **विदेशी नियश:** फेमा के नियमों के अनुसार, प्रत्यक्ष विदेशी नियश और विदेशी पोर्टफोलियो नियश की अनुमति होगी।
- **पूँजी:** इकाई के पास न्यूनतम 500 करोड़ रुपए की भुगतान पूँजी होनी चाहिये। कोई भी प्रवरतक इकाई की पूँजी में 40% से अधिक नियश नहीं कर सकता है। प्रवरतक की शेयरधारता इकाई के व्यवसाय शुरू होने के पाँच वर्ष बाद न्यूनतम 25% तक कम हो सकती है।
- **आवेदन की प्राप्तेसंगी:** एक बाहरी सलाहकार समिति छत्र इकाई के लिये आवेदनों की जाँच करेगी और भुगतान एवं नपिटान प्रणाली (BPSS) के विनियमन और प्रयोक्षण के लिये RBI के बोर्ड को सुझाव प्रस्तुत करेगी। BPSS आवेदन पर फैसला लेने वाली अंतमि प्राधिकारी होगी।

स्वास्थ्य

• स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति का मसौदा

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) ने स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति का मसौदा सार्वजनिक टपिकों के लिये जारी कर दिया है।

और पढ़ें

विधि और न्याय

• आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के लिये नियम

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) ने सुशासन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 [Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020] के लिये आधार सत्यापन को अधिसूचित किया। इन नियमों को आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ तथा सेवाओं की लक्षित डिलीवरी) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। आधार अधिनियम केंद्र सरकार को इस बात की अनुमति देता है कि वह उन उद्देश्यों के लिये नियम बनाए जिनके लिये आधार के प्रमाणीकरण की मांग की जा सकती है।

नियम यह प्रावधान करते हैं कि केंद्र सरकार कुछ उद्देश्यों के लिये संस्थाओं को आधार-आधारति प्रमाणीकरण की अनुमति दें सकती है, जैसे- सुशासन कायम करना, धन के रसिव को रोकना, नविसियों को बेहतर जीवन देना और सेवाओं तक बेहतर पहुँच। नियम उद्देश्यों के लिये सत्यापन की मांग की जा सकती है:

- (i) सुशासन सुनिश्चित करने के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग।
- (ii) सामाजिक कल्याण लाभों के रसिव की रोकथाम।
- (iii) नवाचार को सक्रिय करना और ज्ञान का प्रसार।

इन उद्देश्यों के लिये सत्यापन स्वैच्छिक आधार पर होगा। उपरोक्त उद्देश्यों के लिये आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने हेतु इच्छुक कोई भी केंद्रीय मंत्रालय या राज्य सरकार एक प्रस्ताव तैयार करेगी और इसे मंजूरी के लिये भारतीय विधिवाली प्रवाना प्राधिकरण को सौंपेगी।

सामाजिक न्याय और अधिकारति

• राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषिद

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 [Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019] में केंद्र सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि वह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय परिषिद का गठन करेगी। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारति मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) ने राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्तिपरिषिद का गठन किया है।

और पढ़ें

सूचना एवं प्रसार

• सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इमैनेलमेंट के लिये दशा-निर्देश

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने आउटरीच और संचार ब्यूरो के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मनोनयन (Empanelment) के लिये नीतिगत दशा-निर्देश जारी किये हैं। ब्यूरो प्रति मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आउटडोर मीडिया या भारत सरकार के मंत्रालयों या वभिगों की ओर से वेबसाइट्स के ज़रूरी भुगतान किये गए आउटरीच अभियानों के लिये ज़मिमेदार एक नोडल एजेंसी है। दशा-निर्देशों के मुख्य पहलूओं में नियमित शामिल हैं:

- **इमैनेलमेंट के लिये पात्रता:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के भारत में हर महीने न्यूनतम 25 मिलियन यूनीक यूजर्स होने चाहये (जो कि पिछले तीन महीने के डेटा पर निरिभर करेगा)। इसके अतिरिक्त प्लेटफॉर्म को उसी डोमेन नेम से कम-से-कम छह महीने के लिये ऑपरेशन में होना चाहये।
- **संलग्नता:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्यूरो के साथ एक अनुबंध करना होगा। अनुबंध की शर्तों में प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी सामग्री राष्ट्रीय वरिधी, अश्लील, सांप्रदायिक सौहारद और राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालने वाली नहीं है या साइबर कानून का उल्लंघन करने वाली नहीं है।
- **ब्यूरो सामग्री, लक्षित दरशकों, अभियान के बजट और अवधि के आधार पर नियमित करेगा कि ग्राहक मंत्रालय/वभिग की योजनाबद्ध आउटरीच**

- गतविधिके लयि कौन से प्लेटफॉर्म प्रासंगिक हैं। भारत स्थिति प्लेटफॉर्म को वरीयता दी जाएगी।
- **मूलय नरिधारण:** ब्यूरो सरकारी संदेशों के लयि इनवेंटरी/स्पेस खरीदने हेतु नीलामी प्रक्रयिता में भाग लेगा। ये संदेश टेक्स्ट, वीडियो वजिज्ञापन, कैरोयूजल वजिज्ञापन, संग्रह वजिज्ञापन इत्यादिके रूप में हो सकते हैं। इनवेंटरी/स्पेस खरीदने के मॉडल नमिनलखित हो सकते हैं:
 - (i) डायनैमिक प्राइज़गि मॉडल (जहाँ ब्यूरो से क्लकिं या ब्यूज़ के आधार पर शुल्क लयि जाएगा), (ii) नीलामी मॉडल (जहाँ इनवेंटरी खरीदने के लयि कुछ बोली राशि का संकेत देकर ब्यूरो को ऑनलाइन नीलामी में भाग लेना होगा), या
 - (iii) पहुँच और फ्रीक्वेंसी मॉडल (जहाँ ब्यूरो एक नशिचति मूल्य के लयि एडवांस में अभियान बुक कर सकता है)।
 - संबंधित ग्राहक मंत्रालय और वभिग (Client Ministry And Department) को एडवांस में ब्यूरो को 100% धनराशिदैनिक होगी।
 - **प्लेटफॉर्म के करतवय:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक वास्तविक समय डैशबोर्ड के माध्यम से डिजिटल रपोर्ट सुनिश्चित करने के लयि जमिमेदार होगा जो कि अभियान से संबंधित मात्रात्मक परणिम दरिखाता हो (जैसे कि ब्यूज़, क्लकिं, इंप्रेशन, फॉलोअर्स की संख्या)। इसके अतरिक्त प्लेटफॉर्म्स को भारत सरकार के कसी मंत्रालय या एजेंसी द्वारा स्पैड या ब्लैकलिस्टेड नहीं होना चाहयि।

कृषि

• चीनी वकिास फंड (संशोधन) नयिम, 2020

खाद्य और सार्वजनिक वतिरण वभिग ने चीनी वकिास कोष (संशोधन) नयिम, 2020 [Sugar Development Fund (Amendment) Rules, 2020] को अधसूचित किया। चीनी वकिास कोष अधनियम, 1982 (Sugar Development Fund Act, 1982) के अंतर्गत स्थापति इस कोष को चीनी उद्योग की वकिास संबंधी गतविधियों को वित्तपोषित करने के लयि उपयोग किया जाता है। 2020 नयिमों की प्रमुख वर्णिष्ठताएँ हैं:

- **चीनी कारखानों को ऋण:** मौजूदा नयिमों के अंतर्गत 2,500 टन प्रतिदिन या उससे अधिक गन्ने की पेराई क्षमता वाले कारखाने कोष से ऋण के लयि पातर हैं। इस ऋण को नमिनलखित से संबंधित परयोजनाओं को लागू करने के लयि इस्तेमाल किया जा सकता है:
 - (i) एल्कोहल या गुड़ से एनहाइड्रस एल्कोहल या इथेनॉल का उत्पादन।
 - (ii) मौजूदा इथेनॉल संयंत्र को शून्य तरल डिस्चार्ज संयंत्र में बदलना।
 - (iii) सामान आधारित सह-बजिली उत्पादन।
- 2020 के नयिमों के अंतर्गत संशोधन यह प्रावधान करते हैं कि 1,250 टन और 2,500 टन प्रतिदिन के बीच पेराई क्षमता वाले चीनी कारखाने भी इन कषेतरों में ऋण के लयि पातर होंगे। हालाँकि ऐसे कारखानों को आधुनिकीकरण और वसितार परयोजनाओं के लयि ऋण प्रदान किया जाएगा जो कि को-जेनरेशन या इथेनॉल संयंत्र के साथ एकीकृत है। यह कुछ शर्तों के अधीन होगा, जैसे:
 - (i) बैंक या वतितीय संस्थान द्वारा परयोजना की वतितीय व्यवहार्यता का प्रमाणन।
 - (ii) राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर या केंद्र सरकार द्वारा नामति करसी अन्य संस्थान द्वारा तकनीकी व्यवहार्यता का प्रमाणीकरण।
 - (iii) ऋण के लयि राज्य सरकार की गारंटी प्रस्तुत करना।
- **ऋण पर डफिलेट के लयि जुरसाना:** अगर कोई कोष के ऋण को चुकाने में डफिलेट करता है तो उसे डफिलेट की राशिपर 6% प्रतिवर्ष की ब्याज दर चुकानी होती है या वह दर चुकानी होती है, जसे केंद्र सरकार तय करती है। संशोधन में इस ब्याज दर को कम करके 4% प्रतिवर्ष कर दिया गया है।

रक्षा

• रक्षा उत्पादन और नरियात संवरद्धन नीति 2020

रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और नरियात संवरद्धन नीति (Defence Production & Export Promotion Policy- DPEPP) 2020 का मसौदा जारी किया है। इस नीतिका उद्देश्य देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ावा देना, आयात पर नरिभरता कम करना और रक्षा उद्योग में आत्मनरिभरता के लयि नरियात को बढ़ावा देना है।

और पढ़ें

• आयात एंबार्गो के लयि 101 वस्तुओं की सूची

रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) ने 101 वस्तुओं की एक सूची प्रकाशित की है जनिके आयात पर प्रतिबंध होगा। सूची में हथयार प्रणाली, जैसे-आरटिलरी गन, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, उच्च शक्ति विले रडार और अपग्रेड सिस्टम आदि उपकरण शामिल हैं।

और पढ़ें

• घरेलू उद्योग द्वारा डजिइन और वकिास के लयि प्रणालयों

रक्षा अनुसंधान और वकिास संगठन (Defence Research and Development Organisation- DRDO) ने 108 प्रणालयों और उप-प्रणालयों की सूची को चहिणति किया है जिन्हें भारतीय उद्योग द्वारा डजिइन और वकिस्ति किया जाएगा। इनमें मनी और माइक्रो अनमैन्ड एरपिल वेहाकिल, मरीन रॉकेट लॉन्चर, फायर डिटिक्शन प्रणाली और ट्रांसपॉन्डर प्रणाली आदि शामिल हैं। DRDO आवश्यकता के आधार पर उद्योग को इन प्रणालयों के डजिइन, वकिास और परीक्षण के लयि सहयोग प्रदान करेगा। उसने प्रणालयों के वकिास हेतु वर्ष 2021 की समयावधितय की है।

सड़क परविहन

• मोटर वाहनों से संबंधित नियमों में मसौदा संशोधन

सड़क परविहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (Central Motor Vehicles Rules, 1989) में वभिन्न मसौदा संशोधन जारी किये। इन संशोधनों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- वाहन के पंजीकरण दस्तावेजों में स्वामतिव का उल्लेख: मंत्रालय ने मोटर वाहन पंजीकरण के दस्तावेजों में स्वामतिव को शामिल करने के लिये सुझाव आमंत्रित किया है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अंतर्गत वाहन के पंजीकरण फॉर्म में फलिहाल स्वामतिव से संबंधित विवरण उचित तरीके से प्रदर्शित नहीं होते। प्रस्तावित मसौदा नियम एक नए खंड को शामिल करते हैं जिसमें स्वामतिव के प्रकार का प्रावधान है। इसके अंतर्गत नमिनलखिति श्रेणियाँ शामिल हैं:

- (i) सवायत्त निकाय
- (ii) केंद्र सरकार
- (iii) ड्राइवरी स्कूल
- (iv) दवियांगजन
- (v) फॉर्म
- (vi) व्यक्तिगत
- (vii) पुलसि वभिग
- (viii) बहु स्वामतिव इत्यादि

• परी फटिड बैटरी के बनि इलेक्ट्रिक वाहनों की बकिरी और पंजीकरण की अनुमति

सड़क परविहन और राजमार्ग मंत्रालय ने परी फटिड बैटरी के बनि इलेक्ट्रिक वाहनों की बकिरी और पंजीकरण की अनुमति दी है। मंत्रालय ने निरदिष्ट किया है कि ऐसे वाहनों को टेस्ट एजेंसी द्वारा जारी अनुमोदन प्रमाणपत्र के आधार पर बेचा और पंजीकृत कराया जा सकता है। इसके अंतरिक्त बैटरी के मेक/टाइप या कसी और विवरण को निरदिष्ट करना रजिस्ट्रेशन के लिये ज़रूरी नहीं होगा। हालाँकि इलेक्ट्रिक वाहन के प्रोटोटाइप और बैटरी (नियमति बैटरी या स्वैपेबल बैटरी) को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अंतर्गत निरदिष्ट परीक्षण एजेंसियों द्वारा अनुमोदित होना चाहिये।

• राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाज़ा पर फास्टैग अनविराय

सड़क परविहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टोल शुल्क प्लाज़ा पर वापसी यात्रा छूट लेने या कसी और कसिम की छूट लेने के लिये फास्टैग को अनविराय कर दिया है।

[और पढ़ें](#)

रेलवे

• सुरक्षा के लिये ड्रोन आधारित सर्वलाइंस प्रणाली

- रेलवे ने ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिये नौ ड्रोन्स और दो निंजा अनमैनड एरियल वेहकिल (Ninja Unmanned Aerial Vehicles) खरीदे हैं। रेलवे की सुरक्षा के लिये रेलवे संरक्षण बल इनका उपयोग करेगा। ड्रोन्स को नमिनलखिति के लिये तैनात किया जाएगा:
 - (i) रेलवे की संपत्तियों का नरीकषण।
 - (ii) आपराधिक और असामाजिक गतिविधियों, जैसे- जुए, कचरा फेंकने आदिपर नज़र रखना।
 - (iii) आपदा की स्थितियों में बचाव, रकिवरी और बहाली।
 - (iv) डेटा संग्रह करने के कुछ कारणों, जैसे भीड़ की स्थितियों को मापना।

रेलवे की योजना भविष्य में 17 अंतरिक्त ड्रोन्स खरीदने की है।

खनन

• खनन क्षेत्र में प्रस्तावित सुधार

खान मंत्रालय ने खनन क्षेत्र में प्रस्तावित सुधारों पर टपिपणियाँ आमंत्रित की हैं। इन सुधारों में खनन क्षेत्र में नज़ी निविश बढ़ाने के लिये [आतमनरिभर भारत अभियान](#) के अंतर्गत घोषणाओं को लागू करने का प्रयास किया गया है। खान और खनजि (विकास एवं विनियमन) अधनियम, 1957 [Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957] तथा अधनियम के अंतर्गत अधिसूचित नियमों में कुछ संशोधन प्रस्तावित हैं ताकि इन सुधारों को लागू किया जा सके। प्रस्तावित सुधारों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- एंड यूज़ के प्रतिबंध को हटाना: भविष्य में सभी खानों को एंड यूज़ के प्रतिबंधों के बनि नीलाम किया जाएगा। इसके अंतरिक्त मौजूदा कैप्टवि खदानों संबंधी उपलब्ध पहले इनकार (First Refusal) के अधिकार को भी समाप्त किया जाएगा। वर्तमान में बंदी खानों पछिले वर्ष उत्खननि कुल खनजियों में

से 25% तक को बेच सकती हैं। इस सीमा को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।

- **नजीि संस्थाओं द्वारा अन्वेषण:** पूरवक्रष्ण कम खनन पट्टे नीलामी के ज़रिये खननिक ब्लॉक्स की आशकि खोज के लिये दिये जाते हैं। यह पट्टा पूरवक्रष्ण और खनन गतविधियों दोनों के लिये संयोजन लाइसेंस होता है। नजीि संस्थाएँ अन्वेषण के काम में संलग्न होंगी। उनके खोज के कार्य का वित्तपोषण राष्ट्रीय खननिक अन्वेषण निधि (National Mineral Exploration Trust Fund) द्वारा किया जाएगा।

मंत्रालय ने कहा था कि संभाव्य से अधिक बड़ी संख्या में लीज़ अवृद्धि हो गई है क्योंकि यह तो उनके लीज़ देने की अवधिखितम हो गई है या कानूनी गतरिध के कारण वे नीलामी में शामिल नहीं हो पाई हैं। मंत्रालय ने 1957 के अधनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा ताकि ऐसे ब्लॉक्स को नीलामी के ज़रिये दोबारा आवंटित किया जा सके। उसने एक ऐसे प्राधिकरण की नियुक्ति का प्रस्ताव भी रखा जो उन लोगों जिनके अधिकार रद्द हो जाएंगे, द्वारा की गई खोज में खरच हुए व्यय की अदायगी कर सकें।

- **गैर- कार्यशील खानों का पुनः आवंटन:** नजीि कंपनियों के स्वामित्व वाली खदानों जो तीन वर्ष से चालू नहीं हैं, उन्हें नीलामी के माध्यम से पुनः आवंटित करने के लिये संबंधित राज्य को दे दिया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की उन यूटिलिटीज़ के लिये आवंटित खदानों के साथ भी ऐसा ही कायि जाएगा, जो उत्पादन नहीं कर रही है।
- **अवैध खनन की परभाषा:** मंत्रालय ने कहा कि वित्तमान में लीज़होल्ड क्षेत्र के बाहर होने वाले अवैध खनन और खनन लीज़ क्षेत्र के भीतर मंज़ुरियों का उल्लंघन करते हुए खनन के बीच कोई अंतर नहीं है। 1957 के संशोधन अधनियम में यही प्रस्तावित है कि लीज़होल्ड क्षेत्र के बाहर अवैध खनन को लीज़ क्षेत्र के भीतर के खनन से अलग करके देखा जाएगा।

बजिली

- सौर व पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिये अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क और ट्रांसमिशन

बजिली मंत्रालय (Ministry of Power) ने कुछ सौर और पवन संयंत्रों के लिये अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क और ट्रांसमिशन के नुकसान पर छूट से संबंधित एक आदेश जारी किया। यह राष्ट्रीय विद्युत टैरफि नीति, 2016 (National Electricity Tariff Policy, 2016) के अनुरूप है जो विद्युत संयंत्र नियन्त्रिति मानदंडों को पूरा करेंगे, उन्हें कमीशनगी की तारीख से 25 वर्ष तक की अवधि के लिये यह छूट मिलिएगी:

- ऊर्जा के सौर या पवन स्रोतों का उपयोग करने वाले वे ऊर्जा संयंत्र जिन्हें 30 जून, 2023 तक अधिकृत किया गया है, इसके पात्र होंगे। इनमें हाइब्रिड सोलर वडि पावर प्लांट्स भी शामिल हैं।
- केवल वही संयंत्र पात्र होंगे जो नवीकरणीय खरीद दायतिव (Renewable Purchase Obligation- RPO) वाली संस्थानों को विद्युत बेचते हैं, भले ही विद्युत की आपूर्ति RPO के भीतर हो या न हो। वितरण लाइसेंसधारियों के लिये उत्पादति बजिली हेतु केंद्र सरकार से संबंधित दशा-नियंत्रणों के अंतर्गत एक प्रतिस्पर्द्धी प्रक्रया के ज़रिये बजिली की खरीद होनी चाहयि।
- सौर ऊर्जा संयंत्रों को नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy) के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण (Central Public Sector Undertaking- CPSU) के योजना चरण 2 या भारतीय सौर ऊर्जा नियम (Solar Energy Corporation of India) की वनियमान क्रमता से जुड़ी योजना के टेंडर के अंतर्गत कमीशन होना चाहयि। मंत्रालय के CPSU योजना चरण 2 का लक्ष्य सरकारी उद्देश्य के लिये राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा और प्रयोगरणीय स्थिरिता को सहज बनाना है।

शक्षिधा

- इंटरनशपि एंबेडेड कार्यक्रमों के लिये दशा-नियंत्रण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission-UGC) ने प्रशक्षित या प्रशक्षिण सन्निहित डिग्री कार्यक्रमों (Apprenticeship or Internship Embedded Degree Programmes) को प्रस्तुत करने वाले उच्च शक्षिधा संस्थानों के लिये दशा-नियंत्रण प्रकाशति किये हैं। इन दशा-नियंत्रणों के नियन्त्रिति लक्ष्य है:

- (i) स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यारथियों की रोज़गार क्रमता में सुधार।
- (ii) उच्च शक्षिधा प्रणाली और उद्योग के बीच संबंधों को सुधारना।

उल्लेखनीय है कि उच्च शक्षिधा संस्थान (Higher Education Institution- HEI) का कोई भी कार्यक्रम प्रशक्षिण के साथ सन्निहित होगा। HEI डिग्रीयों देने के लिये अधिकृत है। दशा-नियंत्रणों की मुख्य वशिष्टाओं में शामिल हैं:

- प्रशक्षिण में कार्य-आधारत शक्षिधा प्राप्त करने के लिये कार्यस्थल परसिर में (संस्थान परसिर में नहीं) प्रशक्षिणवृत्ति (Traineeship) की पेशकश करेगा।
- HEI के पास प्रशक्षिण सन्निहित कार्यक्रम शुरू करने से पहले प्रशक्षिण प्रदान करने के लिये संगठनों, उद्यमों और औद्योगिक निकायों के साथ एक पूर्व समझौता ज़ापन होना चाहयि।
- डिग्री के कुल क्रेडिट का कम-से-कम 20% क्रेडिट प्रशक्षिण के हसिसे में होना चाहयि।
- प्रशक्षिण सन्निहित कार्यक्रम से स्नातक करने वाले विद्यारथी उसी विषय में मास्टर प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिये पात्र होंगे। यह उस विषय के लिये भी किया जा सकता है जिसके लिये उन्होंने न्यूनतम 24 क्रेडिट अर्जति किये हैं (इंटरनशपि के दौरान अर्जति क्रेडिट सहति)।
- HEI के पास यह वकिलप होगा कि वह प्रोग्राम की अवधि में बदलाव किये बना डिग्री प्रोग्राम के हसिसे के रूप में प्रशक्षिण के लिये कम-से-कम एक

सेमसिटर को सन्नहिति कर सके।

- संस्थान (जहाँ प्रशिक्षण प्रदान कया जा रहा है) उदयोग/संगठन के परामर्श से प्रशिक्षण के आकलन का वकिलप चुन सकते हैं।

संचार

• स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के आकलन के उपाय

भारतीय दूरसंचार नियमित प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India- TRAI) ने स्पेक्ट्रम शेयरगी के मामलों में स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के आकलन के तरीकों से संबंधित सुझाव जारी किये हैं।

मोबाइल एक्सेस सरवर्स देने वाले लाइसेंसधारियों को स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (Spectrum Usage Charges- SUC) देना होता है जिसकी गणना वार्षिक सकल राजस्व (Annual Gross Revenue- AGR) के प्रतशित के रूप में की जाती है। ये शुल्क 3% से 8% के बीच होते हैं जो कवियरलेस लाइसेंसधारी के स्पेक्ट्रम के प्रमाण और प्रकार पर निभर करता है। AGR सकल राजस्व से स्वीकार्य कटौतियों के बाद शुद्ध राजस्व होता है। सकल राजस्व से कुछ शुल्कों और करों, जैसे- अन्य सेवा प्रदाताओं को दिये जाने वाले रोमांगी शुल्क और सेवा कर एवं बकिरी कर के घटाने के बाद AGR प्राप्त होता है।

लाइसेंसधारी जिसी कसी निर्दिष्ट प्रक्रिया (नीलामी या प्रशासनिक आवंटन) के माध्यम से स्पेक्ट्रम आवंटति किया जाता है, अपने स्पेक्ट्रम को कसी अन्य लाइसेंसधारी के साथ साझा कर सकता है। वर्तमान में स्पेक्ट्रम शेयरगी को सरिफ एक ही बैंड में शेयर किया जा सकता है। शेयरगी के बाद प्रत्येक लाइसेंसधारी का SUC दर 0.5% बढ़ जाता है। दूरसंचार विभाग से यह अनुरोध किया गया है कि SUC के बढ़ी हुई दर (इंकरेमेंटल रेट) को सरिफ शेयर किये गए स्पेक्ट्रम पर लागू किया जाए, न किलाइसेंसधारी के पूरे बैंड पर। विभाग ने TRAI से कहा कि वह इस संबंध में अपने सुझाव पेश करे। मुख्य सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **वृद्धशील SUC दर की प्रयोज्यता:** TRAI ने सुझाव दिया था कि SUC दर पर 0.5% की वृद्धिको उस वशिष्ट बैंड के स्पेक्ट्रम पर लागू होना चाहिये जिसमें शेयरगी की जा रही है, न किलाइसेंसधारक के संपूर्ण स्पेक्ट्रम पर। उसने कहा किलाइसेंसधारी के पूरे स्पेक्ट्रम पर वृद्धशील SUC दर लागू होने की स्थिति में स्पेक्ट्रम शेयरगी की लागत उस शेयरगी से प्राप्त होने वाले लाभ से अधिक हो सकती है।
- **स्पेक्ट्रम शेयरगी को समाप्त करने की सूचना :** TRAI ने कहा कि स्पेक्ट्रम शेयरगी के मौजूदा दशा-निर्देशों में लाइसेंसधारियों द्वारा स्पेक्ट्रम शेयरगी एग्रीमेंट को परस्पर समाप्त करने का विशिष्ट उल्लेख नहीं होता। उसने सुझाव दिया कि इसका उल्लेख दशा-निर्देशों में होना चाहिये। इससे ज़रूरत और वाणिज्यिक आधार पर स्पेक्ट्रम के प्रबंधन को लचीलापन प्रदान किया जाने की उम्मीद है।

अल्पसंख्यक मामले

• नई रोशनी योजना

अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs) अल्पसंख्यक महलियों के नेतृत्व वकिस के लिये नई रोशनी नामक योजना (Nai Roshni Scheme) का संचालन करता है। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक महलियों को सरकारी प्रणालियों, बैंकों और मध्यस्थियों से बातचीत करने के लिये उपकरण प्रदान करना है। मंत्रालय ने अधिसूचित किया है किलाभारथियों को इस योजना के अंतर्गत लाभ हासिल करने के लिये आधार नंबर का प्रमाण देना होगा। जिन महलियों का अब तक आधार के अंतर्गत नामांकन नहीं हुआ है, उन्हें योजना के अंतर्गत उपलब्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने से पहले नामांकन करना होगा।

और पढ़ें